संख्या-1042/ब्यूरो/1984

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र मोहन,
सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों तथा
नोयडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 24 अगस्त, 1984

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों में अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन हेतु सृजित चयन समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को सदस्य बनाया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वेतनमान रु0 775-1360 के वेतनमान तक के पदों के संबंध में सृजित चयन समिति में यदि उद्यम/विभाग में उपयुक्त ज्येष्ठता एवं अनुभव के अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी हों तो उन्हें चुनाव समिति का सदस्य बना लिया जाय। रु0 775-1360 के वेतनमानों से ऊपर तथा रु0 900-1770 या उससे नीचे के वेतनमानों के पदों में भी यदि कुल पदों की संख्या कम से कम 5 हो तो उद्यम/विभाग में उपर्युक्त ज्येष्ठता एवं अनुभव के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी उपलब्ध होने की दशा में उनमें एक अधिकारी को चुनाव समिति का सदस्य बना लिया जाय। इससे अल्पसंख्यक समुदाय में यह विश्वास जागृत हो सकेगा कि उनके अभ्यर्थियों के योग्यता को ध्यान में रखते हुए चयन में चुनाव करते समय किसी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है।

भवदीय,
सुरेन्द्र मोहन,
सचिव।

संख्या-1042(1)/ब्यूरो/84, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

(1) शासन के सम्बन्धित सचिव/विशेष सचिव।
(2) सचिवालय के संबंधित अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग-1/2।
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2।
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो।

आज्ञा से,
आर0 के0 सिंह,
विशेष सचिव।